न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 59/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. तरूण कुमार खोतानी पुत्र दिलीप कुमार खोतानी मैसर्स दिलीप एण्टरप्राइजेज, शॉप नं. 3, सिन्धु नगर, भीलवाडा –विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री अभिषेक तिवारी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 26.11.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी तरूण कुमार खोतानी पुत्र दिलीप कुमार खोतानी मैसर्स दिलीप एण्टरप्राइजेज, शॉप नं. 3, सिन्धु नगर, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को बटर, चीज, फैट स्प्रैड का विक्रय कर रहा था। तरूण कुमार खोतानी पुत्र दिलीप कुमार खोतानी मैसर्स दिलीप एण्टरप्राइजेज, शॉप नं. 3, सिन्धु नगर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता फर्म पर Fat Spread (Brand- Delicious) विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जॉच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जॉच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2024 को समय 5.30 पी.एम. पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु तरूण

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)